उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1
संख्याः–858/XIX-1/2026/20 खाद्य/2026
देहरादूनः दिनांक –17 नवम्बर, 2026

सार्वजनिक सूचना

"उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2026" (प्रति संलग्न) को यथा प्रक्रिया अग्रेत्तर प्रख्यापित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित नियमों के संबंध में, जिन व्यक्तियों का प्रभावित होना संभाव्य है, द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से **15 दिन के भीतर** प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून–248001 को प्रेषित किए जा सकते हैं।

Digitally signed by
Ruchi Mohan Rayal
Date: 17-11-2026
12:36:44
(रुचि मोहन रयाल),
अपर सचिव।

संख्याः –858 /XIX-1/2026 20–खाद्य/2026–तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सादर संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के सादर संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा व्यापक संचरण वाले किन्हीं दो समाचार पत्रों में भी सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. मीडिया प्रभारी, सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल ।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रुचि मोहन रयाल),
अपर सचिव।

File No. Food1/13/2026-XIX-1-Food and Civil Supply Department-Part(1) (Computer No. 109522)
Generated from eOffice by SATVEER SINGH, RO-Food Section 1-SSS, REVIEW OFFICER, Food and Civil Supply Department on 17/11/2026 12:43 pm

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग–1
संख्या /XIX-1/2026/20 खाद्य 2026/ई.109522
देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2026

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 2010) की धारा 53 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है;

अतएव, अब राज्यपाल विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए को निम्नलिखित उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2026 बनाने का प्रस्ताव करते हैं;

राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त नियमावली से प्रभावित होनें वाले हिताधिकारियों एवं जनसामान्य द्वारा इस अधिसूचना से सम्बंधित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि उक्त समायावधि के पश्चात् किसी भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रस्तावित नियमावली

उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2026

अध्याय–I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2026 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं:–	2.	(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:– (क) "अधिनियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) अभिप्रेत है; (ख) "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से ऐसा केंद्र अभिप्रेत है जिसे नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड द्वारा इस नियमावली में विनिर्दिष्टि बाट या माप का सत्यापन करने के लिए अनुमोदित किया गया है; (ग) "प्रधान अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का भारसाधक है;

File No. Food1/13/2026-XIX-1-Food and Civil Supply Department-Part(1) (Computer No. 109522)
Generated from eOffice by SATVEER SINGH, RO-Food Section 1-SSS, REVIEW OFFICER, Food and Civil Supply Department on 17/11/2026 12:47 pm

		(घ) "अनुसूची" से इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से अभिप्रेत है। (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इस नियमावली में परिभाषित है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
		अध्याय– II **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में बाट और माप का सत्यापन**
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के संबंध में सामान्य प्रावधान	3.	(1) उन बांटो और मापो का सत्यापन, जो विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013,यथासंशोधित, की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा अथवा विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किया जाएगा। (2) अधिनियम की धारा–24 की उपधारा (3) के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों की सूची राजपत्र में प्रकाशित करायी जायेगी। (3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंन्द्र द्वारा सत्यापन सेवाओं के प्रदान करने की प्रविधि का निर्धारण किया जा सकेगा। (4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट मानक बाट या माप और अन्य ऐसे उपकरण और उपस्कर रखेगा जैसा कि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सुझाव दिया जाये।
		अध्याय– III **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन**
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन	4.	(1) इस नियमावली में विनिर्दिष्टि बाटों या मापों का सत्यापन करने के लिए इस नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट प्रारूप में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड को आवेदन प्रस्तुत करेगा। (2) नियंत्रक, अपनी संस्तुति के साथ, इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगें और सरकार, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की संस्तुति पर विचार करने के बाद, इसे अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकती है। (3) राज्य सरकार अपनी अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति नियंत्रक या किसी अन्य अधिकारी को, जैसा कि वह उचित समझे, को सौंप सकती हैं। (4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन के लिये अनुशंसा करते समय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जायेगा– (क) भूमि और भवन की उपलब्धता और पहुंच; (ख) मापन उपस्करों, परीक्षण सुविधाओं और अन्य अवसंरचना की पर्याप्तता, (ग) तकनीकी रूप से दक्ष जनशक्ति की उपलब्धता; (घ) ग्राहकों के लिए समयबद्व व उचित ढंग से सेवा प्रदान करने की क्षमता, (ड़) संपर्क नंबर सहित शिकायत निवारण प्रणाली। (च) द्वितीय मानक प्रयोगशाला या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा विनिर्दिट किसी अन्य एजेन्सी द्वारा अपने उपकरण को आवधिक रूप से सत्यापित करने पर सहमति, (छ) निदेशक, विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार द्वारा नामित संस्थाओं में

		अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर सहमति, (ज) अन्य कोई कारक, जो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान की राय में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के उपयुक्त कामकाज को प्रभावित कर सकता हैं।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के संचालन हेतु नियम व शर्ते,	**5.**	(1) सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त परीक्षण केन्द्र किसी भी अमानक बाट या माप का सत्यापन नहीं करेगा। (2) सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त परीक्षण केंद्र उन बाटो या मापों का सत्यापन करेगा जो उसके समक्ष सत्यापन हेतु विहित शुल्क के साथ आवेदित किये जायेंगे। आवेदन की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित का उल्लेख आवश्यक होगा– (क) निर्माता अथवा आयातक अथवा विक्रेता अथवा प्रयोक्ता का नाम व पूरा पता। (ख) उस कारखाना अथवा परिसर की अवस्थिति जहां पर ऐसे बाट या माप का निर्माण किया गया है अथवा आयात किया गया है अथवा प्रयोग किया जाना आशयित है। (ग) सत्यापित किये जाने वाले बाट या माप की अधिकतम एवं न्यूनतम क्षमता, ई अथवा डी वैल्यू, यथार्थता वर्ग। (3) सत्यापन के उपरांत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र सत्यापन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। (4) सत्यापन प्रमाण पत्र उस अवधि के लिये मान्य होगा जो कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में विहित है एवं विहित शुल्क के भुगतान पर उसे ऐसी अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा। (5) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केंद्र कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर उसके द्वारा सत्यापित किये गये बाटों और मापों का विवरण राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र को सुगम पहचान और रिकार्ड के लिये इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से एक विशिष्ट कोड संख्या जारी करेगा। (7) पात्रता की शर्तो को पूरा न करने की दशा में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड आवेदन अस्वीकृत कर देगा और आवेदक को इस बारे में लिखित सूचना भेजेगा। (8) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी यथा आवश्यक परीक्षण केन्द्र का दौरा कर सकता है और प्रधान अधिकारी निरीक्षण की अनुमति देगा, और बाटो और मापों के सत्यापन के संबंध में अभिलेखों को प्रस्तुत करने सहित इस प्रयोजन के लिये सभी सहायता प्रदान करेगा। (9) प्रधान अधिकारी, उनके द्वारा सत्यापित बाट माप, संग्रहित फीस, प्रत्येक परीक्षण के लिये लिया गया समय और ऐसी अन्य सुसंगत सूचनाऐं जो अपेक्षित हों, के संबंध में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (10) प्रधान अधिकारी, बाट और माप का सत्यापन करते समय विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में विहित प्रक्रिया को अपनाएगा। (11) सक्षम प्राधिकारी, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से ऐसा तृतीय

		पक्षकार दायित्व बीमा किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा की गयी किसी गलती या सरकार के अनुदेशों के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के किसी दावे की प्रतिपूर्ति के लिये पर्याप्त हो।
		अध्याय– IV **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द के संबंध में अन्य प्रावधान**
प्रधान अधिकारी की अर्हता एवं अनुभव	**6.**	(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी की अर्हता वह होगी जो भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013, यथासंशोधित, के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है। (2) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी हेतु वह अनुभव धारित किया जाना अपेक्षित है जो केन्द्र सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013, सथासंशोधित, के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है।
प्रधान अधिकारी के कर्तव्य	**7.**	सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात– (क) एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को स्थापित करना और संचालित करना; (ख) यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कर्मचारीगण उसके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे; (ग) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड का सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रचालन की समाप्ति की सूचना देना (घ) अधिनियम के अधीन विहित नियमों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपस्करों की यथार्थता को बनाए रखना; (ड़) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा परीक्षण एवं जारी किये गये प्रमाण पत्रों का समुचित अभिलेख रखना; (च) उपभोक्ताओं की शिकायतों को समुचित रीति में अभिलिखित करना और उनका निराकरण करना; (छ) नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का अनुपालन करना; (ज) यह सुनिश्चित करना कि मानक के अनुरूप पाये जाने की दशा में ही बाट माप सत्यापित/मुद्रांकित किये जायें; (झ) सत्यापन स्टाम्प को कपटपूर्ण उपयोग से पर्याप्त रू से संरक्षित रखना (ञ) यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन और मुद्रांकन के लिए प्राप्त बाटों तथा मापों को सम्यक रूप से सत्यापित करने के पश्चात् पंद्रह दिनों के भीतर वापिस कर दिया जाएगा; (ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के संबंध में इस नियमावली में विहित समस्त कर्तव्य और दायित्व का सम्यक निर्वहन किया जा रहा है।
सत्यापन या पुनः सत्यापन हेतु	**8.**	(1) बाटों या मापों के सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को संदेय शुल्क वही होंगा जैसा कि अनुसूची पांच में

शुल्क		विहित है। (2) सत्यापन के समय अस्वीकृत किया गया कोई भी बाट या माप, उपयोगकर्ता को आवश्यक मरम्मत के लिये वापिस कर दिया जायेगा और मरम्मत के पश्चात बाट या माप सात दिनों के भीतर, नए सिरे से सत्यापन फीस का भुगतान किये जाने पर सत्यापन के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।
सत्यापन चिह्न	**9.**	(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, यह समाधान होने के पश्चात् कि कोई बाट या माप अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों में विहित विशिष्टियों के अनुरूप है, उसे स्टाम्पित करेगा और सत्यापन प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। (2) सत्यापन चिह्न में निम्नलिखित विशिष्टियां समाविष्ट होंगी; अर्थातः– (क) ऊपरी अर्धवृत्त में UK और परीक्षण केन्द्र को विनिर्दिष्ट कोड संख्या अंकित किया जायेगा। (ख) नीचे वाले अर्धवृत्त में वर्ष की तिमाही के लिये कूट अक्षर और उस वर्ष के अंतिम दो अंक। (3) परीक्षण केन्द्र द्वारा अनुसूची–3 में निर्धारित प्रारूप पर सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। (4) परीक्षण केन्द्र प्रत्येक बाट या माप के लिये सत्यापन का पृथक प्रमाण पत्र जारी करेगा, ताकि प्रमाण पत्र प्रत्येक एकल उपकरण के अनुरूप हो।
अभिलेखों का निरीक्षण	**10**	सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केंद्र द्वारा पूर्व के पांच कैलेण्डर वर्षो में किये गये बाटों या मापों के सत्यापन के अभिलेख रखे जाएंगे। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा इन अभिलेखों को नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष निर्देशित किये जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
सत्यापन का स्थान	**11.**	सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अपने प्राधिकृत परिसर के भीतर या जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर बाट या माप का सत्यापन करेगा।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का पर्यवेक्षण	**12.**	यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड द्वारा जारी निर्देशों व नियमों में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित किया जा रहा है, नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का यथावश्यक निरीक्षण कर सकेगा।
दायित्व	**13.**	सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये उत्तरदायी प्रधान अधिकारी किसी भी हानि, क्षति अथवा विधिक दावों के लिये उत्तराखण्ड सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र की अन्तर्विशिष्टताएं	**14.**	(1) सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अनुमोदन प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी अन्तर्विष्ट होगी– (क) प्रमाणपत्र की क्रमांक; (ख) सत्यापन किये जाने वाले बाटों तथा मापों की श्रेणी परीक्षण केन्द्र का संचालन क्षेत्र;

		(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये नियत चिह्न या कोड; (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के बारे में संक्षिप्त विवरण; (ड.) विशेष शर्ते, यदि कोई हों; (च) ऐसी अवधि जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का अनुमोदन किया गया है; (छ) बाट या माप का नाम जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को स्वीकृति प्रदान की गयी है; (ज) उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिये संपर्क नंबर; (2) जहां किसी बाट या माप का विशेष उपयोग आशयित है वहां ऐसे बाट या माप के संबंध में अनुमोदित प्रमाण पत्र पर ऐसे विशेष उपयोग को उपदर्शित किया जाएगा। (3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को जारी प्रमाण पत्र अनुसूची चार में विहित प्रारूप पर होगा। (4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण पत्र को प्रकाशित करवाया जायेगा।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का चिह्न	**15.**	सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिए नियत चिह्न में निम्न का समावेश होगा– राज्य को इंगित करने वाले शब्द यथाः UK, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये नियत कोड संख्या तथा जारी किये जाने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिए 26)।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र का निलम्बन	**16.**	(1) नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को विनिर्दिष्ट बाटों और मापों के सत्यापन के लिए जारी किया गया अनुमोदन प्रमाणपत्र, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उत्तराखण्ड द्वारा, ऐसी स्थिति में जहां प्रमाणपत्र धारक द्वारा निम्नलिखित में से कोई त्रुटि या चूक की गई है, निलंबित किया जा सकेगाः (क) उस बाट या माप को सत्यापित करने में जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, अथवा (ख) सत्यापन कार्य अधिनियम अथवा उसके अधीन नियमों में विहित मानकों के अनुरूप नही किये जाने पर, अथवा (ग) प्रमाण पत्र में विहित शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर: परन्तु ऐसा कोई निलम्बन प्रमाण–पत्र के धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व हेतुक प्रदर्शित करने का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा। (2) जहां किसी प्रमाणपत्र को उपनियम (1) के अधीन निलंबित किया गया है, वहाँ ऐसा निलंबन आदेश तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह त्रुटि या चूक जिसके लिये निलंबन किया गया था, उसका निराकरण नहीं कर लिया जाता है एवं अपराध का शमन करने सम्बन्धी धनराशि, राज्य सरकार को जमा न कर दी जाये।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाणपत्र को निरस्त किया जाना	**17.**	(1) यदि राज्य सरकार को नियंत्रक विधिक माप विज्ञान की अनुशंसा के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा अधिनियम के अतंर्गत बनाये गए नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तराखण्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकेगाः परन्तु ऐसा कोई प्रमाण पत्र तब तक निरस्त नही किया जायेगा, जब तक कि ऐसे प्रमाण पत्र धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व कारण बताये जाने

		का युक्ति–युक्त अवसर न दिया गया हो। (2) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है, ऐसा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र तत्काल प्रभाव से सत्यापन का कार्य बंद कर देगाः परन्तु, यदि प्रमाण–पत्र निरस्त किये जाने के बाद भी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा किसी बाट या माप का सत्यापन किया जाता है तो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड आदेश जारी करके उस बाट या माप के प्रयोग को निषिद्ध कर सकते हैं और अधिनियम के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। (3) अनुमोदन प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण या निलंबन का प्रत्येक आदेश विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में आवेदन के लिये शुल्क	**18.**	(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये आवेदन शुल्क एक उपकरण के लिये प्रतिवर्ष रू 20,000.00 (बीस हजार रु) होगा। (2) शुल्क या तो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से अथवा नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट रीति से जमा किया जा सकता हैं। (3) नवीनीकरण हेतु शुल्क वही होगा, जैसा उपनियम (1) मे निर्दिष्ट है। (4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के संतोषजनक ढंग से कार्य के आधार पर सरकार द्वारा दिया गया अनुमोदन, अनुक्रमिक रूप से एक बार मे पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा।
अपराधों का शमन	**19.**	(1) जहां यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का उल्लंघन किया है, वहां ऐसे अपराध को अधिनियम में निर्धारित रीति से शमन किया जा सकेगा। (2) जहां यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र ने इस नियमावली में निर्दिष्ट किन्ही उपबंधों का उल्लंघन किया है, वहां ऐसे अपराध का रूपये 5,000 (पांच हजार रु) से अनधिक शमन राशि के भुगतान पर किया जा सकेगा।

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

एक अनुसूची

(नियम 3 का उपनियम (1) देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापित किये जाने वाले बाट और माप निम्नलिखित बाट और माप सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापित किए जाएँगे–

1. जल मीटर
2. स्फिाग्मोमैनोमीटर
3. क्लीनिकल थर्मामीटर
4. स्वचालित रेल वेब्रिज
5. टेप मापक यंत्र
6. सटीकता वर्ग-III (150 कि.ग्रा. तक) के गैर–स्वचालित तौल यंत्र
7. सटीकता वर्ग-IIII के गैर–स्वचालित तौल यंत्र
8. लोड सैल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों के बाट
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मीटर
15. वाहनों के लिए गति मीटर
16. श्वास विश्लेषक
17. बहुआयामी मापक यंत्र
18. प्रवाह मीटर
19. पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर
20. सीएनजी डिस्पेंसर
21. एलपीजी डिस्पेंसर
22. एलएनजी डिस्पेंसर
23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर

दो अनुसूची

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिए आवेदन

1. व्यक्ति/आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता;

2. ऐसे बाट या माप का नाम जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में आवेदन किया गया है;

3. आवेदक के संबंधित क्षेत्र में अनुभव का और विवरण;

4. संगठनात्मक संरचना का विवरण;

5. प्रधान अधिकारी व अन्य तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता;

6. आवेदक/केन्द्र के पास उपलब्ध मानकों का ब्यौरा और अन्य परीक्षण सुविधाओं का विवरण;

7. प्रयोगशाला की गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध हो;

8. मांगदेय ड्राफ्ट का विवरण;

9. अधिकारिता/क्षेत्र जिसके लिये आवेदन किया गया है;

10. उपभोक्ता शिकायत सम्पर्क सूत्र;

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी– प्रत्येक आवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेजों, शर्तो तथा निबंधन के साथ तीन प्रतियों में होना चाहिये। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये आवश्यक शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन भुगतान माध्यम से अथवा नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट विधि से नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, के पक्ष में देहरादून में देय होगा।

File No. Food1/13/2026-XIX-1-Food and Civil Supply Department-Part(1) (Computer No. 109522)
Generated from eOffice by SATVEER SINGH, RO-Food Section 1-SSS, REVIEW OFFICER, Food and Civil Supply Department on 17/11/2026 12:47 pm

तीन अनुसूची

(नियम 9 का उपनियम (3) देखें)

सत्यापन प्रमाणपत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र (नाम तथा पता).....

संख्या.....

अधिकारी का नाम.....

मैं, यह सत्यापित करता हूँ कि मैंने नीचे उल्लिखित बाटों, मापो आदि की जांच आज तारीख.....को सत्यापित और स्टांपित/निरस्त किया है।.....से संबंधित..... .....क्षेत्र

मात्रा	अभिधान		तौलन वाले उपकरण				मापने वाले उपकरण	सत्यापन फीस	वहन–वाहन, समायोजन शुल्क आदि
	बाट	माप	क्षमता	श्रेणी	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कुल रूपये.....शुल्क रसीद सं.....दिनांक.....द्वारा जमा किया गया .... के द्वारा मरम्मत की गई/प्रयोग में लाया गया

हस्ताक्षर

प्रधान अधिकारी

अगली सत्यापन दिनांक.....को नियत

टिप्पण– निरस्त किये गये बाट, माप आदि के मामले में प्रधान अधिकारी प्रत्येक पद के सामने निरस्त किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुये एक पृथक निरस्त प्रमाणपत्र देगा।

File No. Food1/13/2026-XIX-1-Food and Civil Supply Department-Part(1) (Computer No. 109522)
Generated from eOffice by SATVEER SINGH, RO-Food Section 1-SSS, REVIEW OFFICER, Food and Civil Supply Department on 17/11/2026 12:47 pm

चार अनुसूची

(नियम 14 का उपनियम (3) देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र

उत्तराखण्ड सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग

विधिक माप विज्ञान विभाग

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन प्रमाणपत्र

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अधीन)

सं. डब्लयू. एम.....(1)/2025 देहरादून, दिनांक.....2025

सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स.....
.....(राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम तथा पता) को निम्नलिखित बाटों तथा मापों (विभिन्न प्रकार सहित) के सत्यापन हेतु.....
.....(स्थान/जिले का नाम) के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदित कर दिया गया हैः

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

प्रमाणमत्र संख्या–यूके जीएटीसी.....

(निर्धारित किये गये कोड).....

विशेष शर्ते, यदि कोई हो.....

उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिये संपर्क नंबर.....

वैधता तिथि.....

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

उत्तराखण्ड

File No. Food1/13/2026-XIX-1-Food and Civil Supply Department-Part(1) (Computer No. 109522)
Generated from eOffice by SATVEER SINGH, RO-Food Section 1-SSS, REVIEW OFFICER, Food and Civil Supply Department on 17/11/2026 12:47 pm

पांच अनुसूची

(नियम 8 का उपनियम (1) देखें)

सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केन्द्र को देय फीस

क्रम	मद	सत्यापन शुल्क (रू./₹ में)
1.	जल मीटर	(i) घरेलू जल मीटर के लिए 250.00 रूपये (ii) वाणिज्यिक जल मीटर के लिय 1000.00 रूपये (iii) औद्योगिक जल मीटर के लिए 2500.00 रूपये
2.	स्फिग्मोमैनोमीटर	100.00 रूपये प्रति स्फिग्मोमैनोमीटर
3.	क्लिनिकल थर्मामीटर	50.00 रूपये प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर
4.	टेप मेजर	(i) क्लास I: 2.00 रूपये प्रति मीटर या उसका भाग (ii) क्लास II: 1.00 रूपये प्रति मीटर या उसका भाग (iii) क्लास III: 0.50 रूपये प्रति मीटर या उसका भाग
5.	सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर–स्वचालित तौल उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक 2000.00 रूपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक 3000.00 रूपये
6.	सटीकता वर्ग III के गैर–स्वचालित तौल उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक 2000.00 रूपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक 3000.00 रूपये
7.	लोड सेल	(i) 5 KN तक 2000.00 रूपये (ii) 5 KN से ऊपर और 100 KN तक 5,000.00 रूपये
8.	बीम स्केल	(i) 5 किलोग्राम तक 500.00 रूपये (ii) 5 किलोग्राम से ऊपर 1000.00 रूपये
9.	कांउटर मशीन	(i) 5 किलोग्राम तक 500.00 रूपये (ii) 5 किलोग्राम से ऊपर 1000.00 रूपय

10.	सभी श्रेणियों के बाट	(i)E1 वर्ग के लिए फीसः (अ)1 मि.ग्रा. से 200 ग्राम (राइडर सहित 22 नग): 15,000 रूपये (आ) मिश्रित बाट (प्रति बाट): (क) 10 किलोग्राम तक 1,000 रूपये (ख) 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक 2,000 रूपये (ii) E2 श्रेणी के बाट के लिए फीस E1 श्रेणी के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का आधा होगा (iii) F1 श्रेणी के बाट के लिए फीस E1 श्रेणी के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का एक चौथाई होगा (iv) F2 श्रेणी के बाट के लिए फीस E1 श्रेणी के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का आठवां हिस्सा होगा (v) बुलियम बाटः (क) 1 ग्राम से 500 ग्रामः 25 रूपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से 10 किग्रा तकः 50 रूपये प्रति बाट (vi) कैरेट बाटः 50 रूपये प्रति बाट (vii) बेलनाकार घुंडीदार बाटः (क) 1 ग्राम से 500 ग्रामः 10 रूपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से 10 किग्रा तकः 25 रूपये प्रति बाट (viii) शीट धातु बाट (बुलियम के अतिरिक्त): 1 मिग्रा से 500 मिग्राः 25 रूपये प्रति बाट (ix) लोहे के षट्कोणीय, घुंडी प्रकार के बाट और समानांतर षट्फलक बाटः (क) 1 ग्राम से 500 ग्रामः 10 रूपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से 10 किलोग्राम तकः 25 रूपये प्रति बाट (ग) 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तकः 50 रूपये प्रति बाट (x) उच्च मूल्यवर्ग भागः

		(क) 50 किलोग्राम से 1000 किलोग्रामः 1000 रूपये (ख) 1000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम तकः 1500 रूपये
11.	गैस मीटर	(i) घरेलूः 500.00 रूपये (ii) वाणिज्यिकः 2000.00 रूपये (iii) औद्योगिकः 5000.00 रूपये
12.	ऊर्जा मीटर	(i) घरेलूः 1000.00 रूपये (ii) वाणिज्यिकः 3000.00 रूपये (iii) औद्योगिकः 5000.00 रूपये
13.	नमी मीटर	2500 रूपये
14.	वाहनों के लिए गति मीटर	15,000 रूपये
15.	श्वास विश्लेषक	2500 रूपये
16.	बहुआयामी माप उपकरण	3600 रूपये
17.	फ्लो मीटर	(i) 100 मिमी तकः 5000.00 रूपये (ii) 100 मिमी से अधिकः 5000.00 रूपये + 1000-00 रूपये प्रत्येक 25 मिमी के लिये।
18.	पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर	रू. 5,000.00 प्रत्येक नोजल
19.	सीएनजी डिस्पेंसर	रू. 10,000.00 प्रत्येक नोजल
20.	एलपीजी डिस्पेंसर	रू. 10,000.00 प्रत्येक नोजल
21.	एलएनजी डिस्पेंसर	रू. 10,000.00 प्रत्येक नोजल
22.	हाइड्रोजन डिस्पेंसर	रू. 10,000.00 प्रत्येक नोजल

ऐसे बाट या माप के प्रकार जिनके लिए इस अनुसूची में शुल्क निर्धारित नही है, उनके लिए शुल्क उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 के अनुसार होगी।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no…… dated

FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS Section–1

No.

Dehradun, Dated: __

NOTIFICATION

Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient so to do in public interest;

And Whereas section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act No. 01 of 2010) provides that the State Government has the power to make rules, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publication, for carrying out the provisions of the said Act;

Now, therefore, the Governor in exercise of the power conferred by sub-section (1) section 53 of the Legal Metrology Act, 2009, proposes to make the following Uttarakhand Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules,2026;

The Governor is further directs under sub-section (4) of section 53 of the said Act that any representation and objections relating to this notification by the beneficiaries and the general public affected by the said rules may be sent to Principal Secretary, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Uttarakhand, Dehradun, within 15 days from the date of publication of this notification in newspaper;

The Governor also directs that no representation or objections will be accepted after the said period.

Proposed Rules

The Uttarakhand Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules 2026

CHAPTER – 1

Preliminary

Short title and commencement	**1.** (1) These rules may be called The Uttarakhand Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026. (2) It shall come into force on the date of its Publication in the Official Gazette.

File No. Food1/13/2026-XIX-1-Food and Civil Supply Department-Part(1) (Computer No. 109522)
Generated from eOffice by SATVEER SINGH, RO-Food Section 1-SSS, REVIEW OFFICER, Food and Civil Supply Department on 17/11/2026 12:46 pm

Definitions	**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires- (a)"Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); (b)"Government Approved Test Centre" means a centre which has been approved by the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand to undertake verification of weight or measure specified in these rules; (c)"Principal Officer" means the officer who is in-charge of Government Approved Test Centre; (d)"Schedule" means a Schedule appended to these rules. (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER – II

Verification of weights and Measures in Government

Approved Test Centre

General Provisions Relating to Government Approved Test Centre	**3.** (1) Weights or measures as specified in the Legal Metrology (Government Approved Test Centre)Rules, 2013 as amended from time to time and as specified in the First Schedule, shall either be verified by a Government Approved Test Centre or by the Legal Metrology Officers. (2) The list of recognized Government Approved Test Centre shall be notified in the Official Gazatte as per sub-section (3) of section 24 of the Act. (3) The Controller, Legal Metrology, Uttarakhand may, by general or special order, specify the mode of providing services of verification by Government Approved Test Centre. (4) The Government Approved Test Centre shall maintain standard weights or measures as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011, and other instruments and equipments as advised by the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand.

CHAPTER – III

Approval of Government Approved Test Centre

Approval of Government Approved Test Centre.	**4.** (1) Any person desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures specified herein shall submit an application to the Controller, legal Metrology, Uttarakhand in the Form specified in the Second Schedule.

	(2) The Controller, with his recommendation, shall forward it to the State Government and the State Government, after considering recommendations of the Controller, may approve or reject it. (3) The State Government may delegate its power of approval to the Controller or to any other officers as it may deem it. (4) While making recommendation for approval of a Government Approved Test Centre, the Controller, Legal Metrology shall consider the following:- a. availability and accessibility of land and building; b. adequacy of measuring equipments, testing facilities and other infrastructure; c. availability of technically qualified manpower; d. capacity for efficient and timely service to customers; e. mechanism for grievance redressal with contact number; f. willingness to get equipment periodically verified by secondary standard laboratory or any other agency specified by Controller, Legal Metrology, Uttarakhand; g. willingness to train its employees in institutions nominated by the Director, Legal Metrology, Government of India; h. any other factor, which in the opinion of the Controller, Legal Metrology shall affect proper functioning of the Government Approved Test Centre.
Terms and Conditions to operate Government Approved Test Centre	**5.** (1) Non-Standard weight or measures shall not be verified by the Government Approved Test Centre. (2) Government Approved Test Centre shall verify the weights and measures which are submitted with requisite fee of verification with an application indicating therin;- (a) name and full address of manufacturer or importer or dealer or user; (b) location of the factory or premises in which such weights or measures is manufactured or imported or intended to be used; (c) maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value, accuracy class of weight or measures, to be verified; (3) After verification, the Government Approved Test Centre shall issue the certificate of verification. (4) The certificate of verification shall valid for the period as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and shall be renewed for such period on payment of prescribed fee.

	(5) Ever Government Approved Test Centre shall submit to the State Government, at the end of the calendar year, a statement as to the number of the weights and measures verified. (6) The Controller, Legal Metrology, Uttarakhand will issue a specific code number to each Government Approved Test Centre for easy identification and records. (7) In case of non-fulfilling of eligibility conditions, the State Government shall reject the application and send a written communication to the applicant, to this effect. (8) The Controller, Legal Metrology, Uttarakhand, or the officers authorized by him in this behalf, may visit the Government Approved Test Centre as and when required and the Principal Officer shall permit inspections and render all assistance for the purpose including the production of records with regard to verification of weights and measures. (9) The Principal officer shall submit a quarterly report to the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand in respect of the weights and measures verified by him, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant information, as required. (10) The Principal Officer, while verifying the weights and measures, shall follow the procedure laid dowm in the Legal Metrology (General) Rules, 2011. (11) The competent authority may require Government Approved Test Centre to take out third party liability insurance, as the case may be, sufficient to cover any claim for damage due to any lapses or non-compliance of Government Instructions by such Government Approved Test Centre.

CHAPTER – IV

Other Provisions related to Government Approved Test Centre

Qualifications and Experience of Principal Officers	**6.** (1) Qualification of Principal Officers of Government Approved Test Centre shall be specified under the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, as amended from time to time, prescribed by the Government of India. (2) Experience of Principal Officer of Government Approved Test Centre shall be specified under the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, as amended from time to time, prescribed by the Government of India.

Duties of the Principal Officer	**7.** The Principal Officers of the Government Approved Test Centre shall have the following duties and responsibilities, namely:- a. To establish and operate the Government Approved Test Centre as an independent unit; b. To ensure that the staff of the Government Approved Test Centre carry out their duties under his guidance and supervisions; c. To inform the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand of cessation of operation of the Government Approved Test Centre. d. To maintain the accuracy of testing equipments as per rules prescribed under the Act, and directions issues from time to time; e. To maintain proper records of testing and certificates issued by the Government Approved Test Centre; f. To record and redress grievances of customers in appropriate manner; g. To abide by the directions issued by the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand from time to time; h. To ensure that only weights or measures conforming to prescribed specification, are stamped; i. To ensure that verification stamps are adequately protected against fraudulent use; j. To ensure that the weights and measures received for verification and stamping are returned back by the Government Approved Test Centre, after due verification, within fifteen days; k. To ensure that all the duties and liabilities of the Government Approved Test Centre, as specified in these rules, are complied with.
Fee for verification or reverification	**8.** (1) The fee payable to Government Approved Test Centre for verification or re-verification of weights or measures shall be as prescribed in Fifth Schedule. (2) Any weight or measures rejected on verification shall be returned to the user for necessary repair, and after repair, the weight or measures within seven days, may be accepted for verification on payment of verification fee afresh.
Marks of verification	**9.** (1) The Government Approved Test Centre, after carrying out metrological evaluation of weight or measure and on being satisfied that the same conforms to specification laid down under the Act and rules made thereunder, shall stamp the same, and also issue a certificate of verification. (2) The verification mark shall contain the following particulars, namely:- (a) The legend “UK” and the code number assigned to the test

	centre in upper half of the circle; (b) Code letter for the quarter of the year and last two digits for the year in the lower half of the circle. (3) The certificate of verification shall be issued, on the proforma, as specified in Third Schedule, by the Government Approved Test Centre. (4) The Government Approved Test Centre shall issue a separate certificate of verification conforms to individual instruments.
Inspection of Records	**10.** Every Government Approved Test Centre shall keep and retain records, for at least five preceding calendar years, of verification of weight or measures carried out by them. These record shall be produced by the Government Approved Test Centre before the Controller Legal Metrology, Uttarakhand, or any officer authorized by him, as and when directed.
Place of Verification	**11.** The Government Approved Test Centre shall undertake verification of weight or measures either in its authorized premises or within the territorial limits of the district.
Supervision of Government Approved Test Centre	**12**. The Controller Legal Metrology, Uttarakhand or any other authorized Legal Metrology Officer may visit the Government Approved Test Centre, as and when required, to examine whether the Government Approved Test Centre is being run as per the laid down procedures and instructions issued by the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand.
Liability	**13.** The Principal Officer responsible for the Government Approved Test Centre shall be liable to the Government of Uttarakhand for any loss, damage, legal Claims.
Contents of Government Approved Test Centre Certificate	**14.** (1) Every Certificate of approval issued by the State Government shall contain the following information:- (a) the serial number of the certificate; (b) range for verification of weight or measures and area of operation; (c)the mark or code assigned to the Government Approved Test Center; (d) a brief statement about the Government Approved Test Center; (e)the special conditions, if any;

	(f)period for which Government Approved Test Center is approved; (g) name of weight and measure for which Government Approved Test Centre has been approved; (h)contact number for consumer's grievance redressal. (2) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use. (3) The Certificate issued to the Government Approved Test Center shall be in the format as prescribed in Fourth Schedule. (4) The Controller Legal Metrology, Uttarakhand shall cause the necessary Government Approved Test Centre certificate to be published on the official website of the department.
Marks to Contents of Government Approved Test Centre	**15.** The mark assigned to the Government Approved Test Center shall contain the State identification letters, namely, UK, the code number assigned to the Government Approved Test Center and the last two digits of the year of the issue. (for example, 26).
Suspension of Certificate Government Approved Test Centre	**16.** (1) The certificate of Government Approved Test Centre granted under sub-rule (3) of rule 14, for verification of specified weights and measures may be suspended by the Controller Legal Metrology, Uttarakhand in the event of the omission or failure of the following on the part of the holder of such certificates:- (a) to verify the weights or measures in accordance to which the certificate relates, or (b) verification not conforming to the rules or standards specified in the Act and rules made thereunder; or (c) non-compliance with the conditions specified in the certificate: Provided that no such suspension shall be made except after giving to the holder of the certificate an opportunity of showing cause against the proposed action. (2) Where any certificate has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure for which such suspension was made, has been complied and the sum for compounding for the offence has been deposited to the State Government.
Cancellation of Certificate of Government Approved Test Centre	**17.** (1) Certificates of Government Approved Test Centre may be cancelled if the State Government is satisfied on the recommendation of Controller, that the Government Approved Test Centre, no longer complies with the provisions specified in the rules made under the

	Act, or specifically violates the directions given by the Controller, Legal Metrology, Uttarakhand from time to time; Provided that no such certificates shall be cancelled unless the older of such certificates has been given an opportunity of showing cause against the proposed action. (2) Where the certificate of Government Approved Test Centre has been cancelled, the verification work shall be stopped by the Government Approved Test Centre immediately: Provided that if it is found that the verification of any weight or measure is conducted by the Government Approved Test Centre whose certificate has been cancelled, the Controller may, by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate penal action. (3) Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be duly notified.
Fee for applying for Government Approved Test Centre of weights or measure.	**18.** (1) Fee for applying for Government Approved Test Centre shall be Rs. 20,000.00 (Twenty Thousand) for one equipment per year. (2)The fee shall be deposited either by demand draft or through online payment mode or as specified. (3)The fee for renewal shall be the same as prescribed in sub-rule (1). (4)The approval granted to Government Approved Test Centre may be renewed subsequently for a period not exceeding five years at a time by the State Government subject to the satisfactorily functioning of such Centre.
Compounding the offences	**19.** (1) Where it is found that the Government Approved Test Centre has contravened any of the provisions specified in sub-section (1) of section 48 of the act, such an offence may be compounded as prescribed under the Act. (2) Where the Government Approved Test Centre contravenes any of provisions of these rules, such offence may be compounded on payment of compounding feewhich shall not exceed Rs. 5000.00 (Rs Five thousand)

(L. Fanai)

Principal Secretary

First Schedule

(See sub rule (1) of rule 3)

Weights and measures to be verified by Government Approved Test Centre:

The following weights and measures shall be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water Meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical Thermometer
4. Automatic Rail Weighbridges
5. Tape Measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy /Class-III (upto 150 kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class-IIII
8. Load Cell
9. Beam Scale
10. Counter Machine
11. Weights of all Categories
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters.
19. Petrol/diesel dispenser
20. CNG dispenser
21. LPG dispenser
22. LNG dispenser
23. Hydrogen dispenser

Second Schedule

(See sub rule (1) of rule 4)

Application for Approval of Government Approved Test Centre

1. Full name and complete address of the person/applicant;
2. Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied

3. Experience detail in the relevant field of the applicant;
4. Detail of organizational structure;
5. Qualification of Principal Officer and and other technical staff;
6. Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/centre;
7. Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;
8. Details of the Demand Draft;
9. Jurisdiction/area for which application is made;
10. Consumer complaint number;

Signature of Applicant

Note: Every application shall be in triplicate accompanied by complete documents and terms and conditions. The required fee will be paid either by Demand draft or Online payment mode or as specified by the Controller, in favour of “Controller Legal Metrology Uttarakhand”, payable at Dehradun.

Third Schedule

(See sub rule (3) of rule 9)

Certification of Verification

Government Approved Test Centre (Name and address)……..

No…….

Name of the Officer……

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measures, etc.
Belonging to ……..Locality……

Quantity	Denomination		Weighing Instruments				Measuring Instruments	Verification Fee Rs. P	Caarriage. Conveyance adjusting charges etc.
	Weights	Measures	Capacity	Class	Make	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs…….deposited vide Money receipt No. ……dated…….

Repaired by/Used by

…….(Signature)

Next verification due on …… Principal Officer…….

Note: - In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

Fourth Schedule

(See sub rule (3) of rule 14)

Certificate of Government Approved Test Centre

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS
(Department of Legal Metrology)

CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

(Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009)

No. WM-…..(1)/2026 Dehradun, Dated - ……2026

Certified that M/s……

…….. (Name and Address of Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test Centre for ……(Name of place/district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

i. ……
ii. ……
iii. ……

Certficate No: - UK/GATC/……..

Mark of Code assigned……

Special Condition, if any……..

Contact Number of Consumer redressal:…….

Valid upto:…….

Controller of Legal Metrology

Fifth Schedule

(See sub rule (1) of rule 8)

Fee payable to Test Centre for verification or re-verification

S.No.	Item	Verification Fee (in Rs/)
1	Water Meter	(i)Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meter (iii)Rs. 2500.00 for industrial water meters
2	Sphygmomanometer	Rs. 100.00 per Sphygmomanometer
3	Clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer
4	Tape measures	(i) Class I: Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II: Rs. 1.00 per meter or part thereof (iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof
5	Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150 kg)	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
6	Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
7	Load Cell	(i) Rs. 2000.00 upto 5 kN (ii) Rs. 5,000.00 above 5 kN and upto 100 kN
8	Beam Scale	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
9	Counter machine	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
10	Weights of all category	i. Fees for E1 Class: A. 1 mg to 200 g (22 pieces including rider): Rs. 15,000 B. Assorted weights (per weight) a. Rs. 1,000 upto 10 kg b. Rs. 2,000 above 10 kg upto 50 kg (ii) Fees for E2 Class weights will be one half the fees specified for E1 class weights (iii) Fees for F1 Class weights will be one fourth the fees specified for E1 class weights (iv) Fees for F2 Class weights will be one eighth the fees specified for E1 class weights

		(v) Bullion weights (A) 1 g to 500 g: Rs 25 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs 50 per weight (vi) Carat weights: Rs 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight: A. 1 g to 500 g: Rs 10 per weight B. Above 500 g to 10 kg: Rs 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion) 1 mg to 500 mg: Rs 25 per weight (ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: A. 1 g to 500 g: Rs 10 per weight B. Above 500 g to 10 kg: Rs 25 per weight C. Above 10 kg to 50 kg: Rs 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs 1500
11	Gas meters	i. Domestic :Rs 500.00 ii. Commercial : Rs 2000.00 iii. IndustrialRs. 5000.00
12	Energy meters	i. Domestic :Rs 500.00 ii. Commercial : Rs 3000.00 iii. IndustrialRs. 5000.00
13	Moisture meter	Rs. 2500.00
14	Speed meter for vehicles	Rs. 15,000.00
15	Breathanalyzers	Rs. 2500.00
16	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600.00
17	Flow meter	i. Upto100 mm: Rs 5000.00 ii. Above 100 mm : Rs. 5000+Rs 1000.00 for every 25 mm.
18	Petrol/diesel dispenser	Rs. 5,000.00 each nozzle
19	CNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
20	LPG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
21	LNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
22	Hydrogen dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle

For kinds of weights or measures for which fee is not prescribed in this Schedule, the same shall be as prescribed under the Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012.